

आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक. १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 72/2012

देव नारायण राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,मढौरा,सारण)

| आदेश का क्रम-संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।   | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित |
|-------------------------------|---|---|
| 10.06.2015                    | <p>यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, छपरा के ज्ञापांक 2190, दिनांक 24.07.12 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल संख्या 13 श्री सुधीर कुमार भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर,सारण के द्वारा देव नारायण राम, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-13/2007, पंचायती-मदारपुर, प्रखंड-मशरक की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में दूकान बंद पाई गई।</p> <p>उक्त अनियमितता के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 535/गो०, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया,जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया था।</p> <p>अपीलार्थी अपने दिज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि 10.01.2012 को विक्रेता के द्वारा अपनी दूकान 08:00 बजे सुबह से 2:00 बजे अपराहन् तक खोल कर रखा गया था। 2:00 बजे के बाद कुछ धरेलू कार्य की वजह से विक्रेता मशरक बाजार चले गये थे। निर्धारित कार्य अवधि के बीच जांच दल जांच हेतु नहीं आये थे। अतः विक्रेता के विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। अतः विक्रेता के द्वारा जान बूझ कर किसी अनियमितता को छिपाने के लिए अपनी दूकान बंद नहीं रखी गई थी। एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय,पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि केवल दूकान बंद रहने की स्थिति में अनुज्ञप्ति</p> |   |

रद्द किए जाने जैसी गंभीर सजा दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपील किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अनियमितताओं को छिपाने के लिए उनके द्वारा अपनी दूकान बंद रखी गयी थी। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को बरकरार रखा जाना उचित होगा।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिशीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश (2190, दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। जांच की तिथि को यदि विक्रेता की दूकान बंद थी तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि वे एक तिथि निर्धारित करके विक्रेता की दूकान से संबंधित कागजात/पंजी मंगवाकर जांच करते एवं यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती तो विक्रेता से प्रक कारण पृच्छा करते हुए प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित



जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।



जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....399...../न्या०, दिनांक.....10/6/15.....

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7ई० सी०, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0 आई0सी0, सारण  
छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड  
करने हेतु प्रेषित।

वरीय ङप सेमाहर्ता

जिला विधि शाखा

सारण, छपरा।

18/6/15